न्यायालय सहायक कलेक्टर एवम् उपखण्ड अधिकारी, देसूरी(पाली)

पीठासीन अधिकारी– राजलक्ष्मी गहलोत (RAS)

राजस्व विविध मुकदमा संख्या–05/2019
आरसीएमएस– 2019/00042
तारीख निर्णय– 24/12/2019

प्रार्थी :–

अर्जुन सिंह पुत्र स्व. भुरसिंह आयु–58 जाति–राजपूत निवासी–गुडा देवडान मेडतियान, तहसील–देसूरी जिला–पाली

–: विरूद्ध :–

अप्रार्थी :–

राजस्थान सरकार जरिये–तहसीलदार, देसूरी (लैण्ड होल्डर)

–: प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–136राज0भू–राजस्व अधि0 1956:–

उपस्थिति–

प्रार्थी की ओर से– वकील हुकमसिंह सोंलकी।
अप्रार्थी की ओर से– सरकारी पैरोकार तहसीलदार देसूरी

–: निर्णय :– दिनांक– 24 /12/2019

प्रकरण हाजा के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि– प्रार्थी द्वारा अन्तर्गत धारा– 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत एक प्रार्थना–इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा सरहद गॉव–बागोल, पटवार हल्का–बागोल तहसील–देसूरी, जिला–पाली में स्थित आराजी खसरा नम्बर 39 रकबा 2.4200 हैक्टर किस्म बारानी दोयम लगान रूपये 12.10 विद्यमान है। प्रमाण स्वरूप जमाबन्दी 'खतौनी संवत् 2073–2076 की पेश है।

यह है कि मौजा बागोल के खसरा नम्बर 39 रकबा 2.4200 हैक्टर की आराजी में प्रार्थी का नाम अर्जुनसिंह की बजाय गलती से दुर्जनसिंह पुत्र भुरसिंह जाति–राजपूत निवासी–गुडा देवडान मेडतियान, तहसील–देसूरी दर्ज हो गया है।

यह है कि स्व. भुरसिह पुत्र नवलसिंह के कोई भी दुर्जनसिंह नाम का लडका नही है। प्रार्थी अर्जुनसिंह का नाम राजस्व रिकोर्ड में गलती से अर्जुन सिंह की बजाय दुर्जनसिंह दर्ज हो गया है। जिससे राजस्व रिकोर्ड में [illegible] सुधार कर दुर्जनसिंह पुत्र भुरसिह की जगह अर्जुनसिंह पुत्र भुरसिंह [illegible]।

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.11 15:54:29 IST
Reason: SelfAttested

यह है कि प्रार्थी के नाम [illegible] नाम पर ग्राम–बागोल [illegible] स्थित खसरा नम्बर 39 रकबा 2.4200 हैक्टर के अलावा ग्राम–म[illegible]तलाब पटवार हल्का–[illegible]

पेज लगातार 02 पर....

सहायक कलेक्टर
(एस.डी ओ) देसूरी (पाली)

तहसील–देसूरी मे भी कृषि भूमि जिसके खसरा नम्बर 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, कुल खसरा 10 रकबा 5.0600 हैक्टर विद्यमान है जिस जमीन में प्रार्थी का सही नाम अर्जुन सिंह दर्ज है। परन्तु ग्राम बागोल मे स्थित आराजी खसरा नम्बर 39 मे प्रार्थी अर्जुन सिंह का नाम राजस्व कर्मचारियों की गलती से दुर्जनसिंह दर्ज हो गया है। प्रार्थी का नाम राशनकार्ड एवं परिचय पत्र मे भी अर्जुनसिंह पुत्र. श्री भुरसिंह है। अतः नाम सुधार किया जाना नितान्त आवश्यक है ताकि प्रार्थी राज्य सरकार की समय–समय पर आने वाली योजनाओ का लाभ उठा सके एवम् अगर नाम सुधार नही किया गया तो प्रार्थी को अकथनीय क्षति होगी जिसका कोई पूर्ति नही होगी।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर मौजा ग्राम–बागोल तहसील–देसूरी में स्थित भूमि खसरा नम्बर 39 रकबा 2.4200 हैक्टर में दुर्जनसिंह पुत्र भुरसिंह का नमा विलोपित कर दुर्जनसिह पुत्र भुरसिंह की जगह सही नाम अर्जुनसिंह पुत्र भुरसिंह दज किये जाने काा आदेश प्रदान करावे।

प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को तलब किया गया। बाद तलबी के अप्रार्थी सरकारी पैरोकार तहसीलदार देसूरी की ओर से जवाब पेश किया। अप्रार्थी की ओर से जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम बागोल मे जमाबन्दी सवत् 2073–76 के अनुसार खसरा नम्बर 39 रकबा 2.42 है किस्म बा. दो. की खातेदारी रणजीतसिंह, जयसिंह, जबरसिंह, बहादुरसिंह, दुर्जनसिंह पि. भुरसिंह राजपूत दर्ज है। पैरा–2 प्रार्थी स्वय सिद्व करे। पैरा–3 आशिक स्वीकार है। ग्राम मगरतलाब के राजस्व रिकोर्ड जमाबन्दी 2070–73 ख.न 232 वगैरा में अर्जुन सिंह पुत्र भुरसिंह राजपूत सहखातेदार दर्ज है।

बहस वकुलाय उभय पक्षकार सुनी गई। बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य का ध्यानपूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया गया प्रार्थी द्वारा मौजा ग्राम बागोल के जमाबन्दी सवत् 2073–2076 में खसरा नम्बर 39 रकबा 2.4000 हैक्टर की आराजी मे गलती से प्रार्थी दुर्जनसिंह पुत्र भुरसिंह दर्ज हो गया है। प्रार्थी के नाम व प्रार्थी के भाईयों के नाम पर ग्राम–बागोल में स्थित खसरा नम्बर 39 रकबा 2.4200 हैक्टर के अलावा ग्राम–मगरतलाब पटवार हल्का–पानोता तहसील–देसूरी मे भी कृषि भूमि जिसके खसरा नम्बर 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, कुल खसरा 10 रकबा 5.0600 हैक्टर विद्यमान है जिस जमीन में प्रार्थी का सही नाम अर्जुन सिंह दर्ज है। तथा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थी का राशनकार्ड संख्या 009112600144, परिचय पत्र कमांक डी.एम.सी./1256049 व आधार संख्या 3651 7753 6422 भी अर्जुनसिंह दर्ज है। तथा कार्यालय ग्राम पंचायत बागोल द्वारा जारी पहचान प्रमाण पत्र मे प्रार्थी अर्जुनसिंह की खातेदारी जमीन मे दुर्जनसिंह दर्ज होना बताया गया व परिवार में इस नाम का अन्य कोई सदस्य नही होना बताया गया है। प्रार्थी व प्रार्थी के भाईयों द्वारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.11 15:54:29 IST
Reason: SelfAttested

पेज लगातार 03 पर....

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

क्रमशः (3) राजस्व विविध मु0सं0– 05/2019 प्रार्थी – अर्जुनसिंह बनाम अप्रार्थीगण – राज्य सरकार प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 न्यायालय सहायक कलेक्टर, देसूरी...............

प्रस्तुत शपथ पत्र में स्व भुरसिंह पुत्र नवलसिंह के कोई भी दुर्जनसिंह नाम लडका नही होना बताया है तथा प्रार्थी अर्जुन सिंह का नाम राजस्व रिकोर्ड में गलती से अर्जुनसिंह की बजाय दुर्जनसिंह दर्ज हुआ है जिससे राजस्व रिकोर्ड में दुरूस्ती व सुधार कर दुर्जन सिंह पुत्र भुरसिंह की जगह अर्जुनसिंह पुत्र भुरसिंह दर्ज किया जावें इसके लिए सभी भाईयों ने सहमती दी है।

अतः उक्त विवेचन एवं विश्लेषण से न्यायालय की राय मे पुराने रिकार्ड से नया रिकार्ड तैयार करते समय कर्मचारियो/अधिकारियो की इन्द्राज संबंधित लिपिकीय त्रुटी एवं भूल व गंलति से '' अर्जुनसिंह पुत्र भुरसिह '' की बजाय '' दुर्जनसिंह पुत्र भुरसिंह '' यानि '' अर्जुन '' के स्थान पार '' दुर्जनसिंह'' अंकित हो गया है अतः धारा– 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत उक्त इन्द्राज़ संबंधित त्रुटी एवं गलति को दुरूस्त संशोधित किया जाना न्याय संगत है एवं प्रार्थीगण का यह प्रार्थना–पत्र स्वीकार योग्य है।

–: आदेश :–

अतः प्रार्थी का यह प्रार्थना–पत्रहस्ब धारा– 136 राज0 भू–राजस्व अधिनियम स्वीकार किया जाकर इन्द्राज दुरूस्ती हेतू आदेश दिया जाता है कि–मौजा सरहद गॉव–बागोल, पटवार हल्का–बागोल तहसील–देसूरी, जिला–पाली में स्थित आराजी खसरा नम्बर 39 रकबा 2.4200 हैक्टर किस्म बारानी दोयम लगान रूपये 12.10 कि वर्तमान राजस्व रिकार्ड जमाबंदी मे दर्ज खातेदार का नाम '' दुर्जनसिंह '' के स्थान पर दुरूस्ती कर '' अर्जुनसिंह '' अंकन किया जावे यानि '' दुर्जनसिंह पुत्र भुरसिंह '' के स्थान पर '' अर्जुनसिंह पुत्र भुरसिंह ''दर्ज किया जावे। तहसीलदार, देसूरी को माफीक आदेश दुरूस्ती कर पालना रिर्पोट प्रस्तुत करने हेतू अलग से तहरीर जारी की जावे।

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली) [seal]

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

आदेश आज दिनांक– 24/12/2019 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.11 15:54:29 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
सहायक कलेक्टर
देसूरी
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)